इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 अक्टूबर 2014—कार्तिक 9, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर 2014

क्र. एफ-5-24-2014-जसं-चौबीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को लेपटाप वितरण के लिए निम्नानुसार पात्रता एवं शर्तों का निर्धारण करता है:—

1. राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार ही पात्र होंगे.

2. समाचार-पत्रों एवं संस्थानों में सक्रिय रूप से कार्यरत पत्रकारों को प्राथमिकता के आधार पर लेपटाप प्रदान किया जायेगा. प्रथमत: पूर्णकालिक पत्रकारिता से सक्रिय रूप से जुड़े और ऐसे पत्रकार जो विगत पांच वर्षों से निरंतर राज्य स्तरीय पत्रकार है, वो इस योजना के पात्र होंगे.

3. स्वतंत्र पत्रकार जो पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, उनकी पात्रता के लिए प्रकरण पत्रकार कल्याण समिति के समक्ष अनुमोदन/अनुशंसा के लिये रखे जायेंगे.

4. ऐसे राज्य स्तरीय अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार जो प्रबंधक/मालिक हैं, वो पात्र नहीं होंगे.

5. जनसंपर्क विभाग/आकाशवाणी/दूरदर्शन/न्यूज एजेन्सी/प्रेस फोटो ग्राफर्स/बेवसाइट या शासकीय-अशासकीय अन्य संस्थानों से सेवानिवृत्त हो चुके हैं या सेवा में हैं, वो पात्र नहीं होंगे.

6. पत्रकारों को लेपटाप देने से पूर्व सहमति पत्र प्राप्त किया जायेगा.

7. मध्यप्रदेश में कार्यरत राज्य स्तरीय पत्रकार ही इसके लिये पात्र होंगे. प्रदेश के बाहर कार्यरत पत्रकार इस योजना के पात्र नहीं होंगे.

पत्रकारों को लेपटाप वितरण हेतु यूनिट कास्ट रु. 40,000/- (रु. चालीस हजार) की राशि निर्धारित की गई है, जो उनके बैंक खातों में लेपटाप के लिये उनके बिल या कोटेशन प्राप्त होने पर उपलब्ध कराई जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
अनिल माथुर, अपर सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2014

क्र. एफ 1-23-2012-अट्ठावन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश उद्यानिकी (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"अनुसूची-चार
(नियम 15 देखिये)

विभाग का नाम (1)	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है (2)	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है (3)	पदोन्नति के लिए सेवा की न्यूनतम कालावधि (4)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (5)	
उद्यानिकी विभाग.	अपर संचालक	संचालक	3 वर्ष	1. मुख्य सचिव	- अध्यक्ष
				2. अपर मुख्य सचिव	- सदस्य
				3. प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यानिकी	- सदस्य
				4. समान श्रेणी का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक नामनिर्दिष्ट सदस्य.	- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उद्यानिकी विभाग.	संयुक्त संचालक,	अपर संचालक	3 वर्ष	1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य. - अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यानिकी - सदस्य 3. आयुक्त/संचालक, उद्यानिकी - सदस्य 4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक नामनिर्दिष्ट सदस्य. - सदस्य
	उप संचालक	संयुक्त संचालक	3 वर्ष	—तदैव—
	सहायक संचालक उद्यानिकी.	उप संचालक उद्यानिकी.	5 वर्ष	—तदैव—
	वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी.	सहायक संचालक उद्यानिकी.	5 वर्ष	—तदैव—
	वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी.	प्रशिक्षण अधिकारी	5 वर्ष	—तदैव—
	सहायक सांख्यिकी अधिकारी.	सहायक संचालक सांख्यिकी.	5 वर्ष	—तदैव—
	अधीक्षक	सहायक संचालक स्थापना.	5 वर्ष	—तदैव—

No. F 1-23-2012-LVIII.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Horticulture (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, for Schedule IV, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE-IV

(See Rule 15)

Name of Department	Name of post from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	minimum period of Service for promotion	Name of members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Horticulture Department	Additional Director	Director	3 Years	1. Chief Secretary - Chairman 2. Additional Chief Secretary - Member 3. Principal Secretary/ Secretary Horticulture. - Member 4. Nominated Member belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes of equal Rank. - Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Joint Director.	Additional Director.	3 Years	1. Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or nominated member by him. - Chairman 2. Principal Secretary/Secretary Horticulture. - Member 3. Commissioner/Director Horticulture. - Member 4. One nominated Member belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes. - Member
	Deputy Director	Joint Director	3 Years	—do—
	Assistant Director Horticulture.	Deputy Director Horticulture,	5 Years	—do—
	Senior Horticulture Development Officer.	Assistant Director Horticulture.	5 Years	—do—
	Senior Horticulture Development Officer.	Training Officer	5 Years	—do—
	Assistant Statistical Officer.	Assistant Director Statistics.	5 Years	—do—
	Superintendent	Assistant Director Establishment.	5 Years	—do—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुप कुमार मुंडा, अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.